

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-ई-20/ग्रा0मस्वाका/(सी-248)/08/652

दिनांक:-25/05/09

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान

विषय- ग्रामीण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद पर नियुक्ति पर
कार्यग्रहण कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 2008 के तहत ग्रामीण म0स्वा0कार्यकर्ताओं के 1427 पदों पर निदेशालय द्वारा दिनांक-18.2.09 को जारी चयन सूची के अभ्यर्थियों के जिला आवंटन आदेश निदेशालय के पत्र क्रमांक-211, 212 दिनांक-28.2.09 के द्वारा जारी किये गये थे, जिसकी पालना में जिन ग्रामीण म0स्वा0कार्यकर्ताओं ने आचार संहिता एवं स्थगन आदेश के कारण आपके अधीन अभी तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है, उन्हें अब माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय तक कार्यग्रहण नहीं करावें। यहां यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के स्थगन आदेश में अगली सुनवाई तिथि दिनांक- 29.5.09 निर्धारित है। सुनवाई तिथि पश्चात माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु एवं कार्यग्रहण अवधि के संबंध में आपको निर्देशित कर दिया जावेगा। अग्रिम निर्देशों तक कार्यग्रहण अवधि स्वतः बढ़ाई हुई मानी जावेगी।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-ई-20/ग्रा0मस्वाका/(सी-248)/08/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर